अमेरिका के हित में नहीं भारत के साथ 'ट्रेड वार'

■ 'ट्रेड टैरिफ और ट्रंप' रिपोर्ट में जताया गया है इसका अनुमान

नई दिल्ली (भाषा)।

भारत के साथ व्यापार युद्ध अमेरिका के हित में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल में भी एकाध साल को छोड़कर भारत की अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति रही थी। प्रतिष्ठित आर्थिक शोध संस्थान 'विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस)' एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

आरआईएस ने 'ट्रेड, टैरिफ और ट्रंप' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को घरेलू नीतियां मौजूदा स्थिति के अनुरूप लाने के लिए तत्काल एक कार्यबल नियुक्त करने या अन्य संस्थागत व्यवस्था बनाने पर विचार करना चाहिए। इस विषय पर मंगलवार को आयोजित एक सत्र में प्रतिभागियों ने कहा, 'अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन मजबूत है। उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2024 में 2.7 से 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 2022 में 1.9 प्रतिशत थी। लेकिन आगामी ट्रंप सरकार के लिए व्यापार घाटा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा।' आरआईएस ने कहा, 'ऐसी स्थिति में आशंका है कि ट्रंप सरकार अपने नए कार्यकाल में भारत के साथ उच्च व्यापार अधिशेष के कारण कुछ सुधारात्मक कदम उठाते हुए शुल्क लगा सकती है। हालांकि संरचनात्मक बदलाव होने में समय लगता है।'

- भारत के साथ व्यापार में कुछ नए शुल्क लगा सकती है ट्रंप की सरकार
- उपभोक्ता वस्तुओं पर भी ऊंचा शुल्क लगा सकते हैं ट्रंप
- इससे निपटने को तत्काल कार्यबल का गठन करे भारत

अमेरिका के साथ भारत लगातार व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। पिछले दो दशकों में 2008 के एकमात्र अपवाद को छोड़कर भारत ने अमेरिका के साथ लगातार व्यापार अधिशेष बनाए रखा है। अमेरिका के 2023 में कुल 1,050 अरब डालर के व्यापार घाटे में चीन, मेक्सिको और कनाडा की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। भारत इस मामले में शीर्ष 10 देशों में 3.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ नौवें स्थान पर है। आरआईएस ने कहा, 'भारत के साथ व्यापार युद्ध अमेरिका के हित में नहीं है। हालांकि नई नीतियों के अपनाने से अस्थायी अल्पकालिक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये चीजें आगे जाकर संतुलित हो जाती है।'

शोध संस्थान के मुताबिक, प्रभावित देशों के सक्रियता से कदम उठाने पर चीजें संतुलित होती है। इन उपायों में एकतरफा शुल्क में वृद्धि, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विवाद निपटान निकाय में आवेदन शामिल है। ये प्रयास अमेरिका के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण साबित हुए है और अंततः अमेरिका सरकार की तरफ से डाले गये दबाव को कम करते हैं।